"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2016—अग्रहायण 4, शक 1938

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2016

क्रमांक 1897/53/2013/1-8/स्था.—श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे, अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 12-09-2016 से 16-09-2016 तक 05 दिवस का (दिनांक 10, 11, 17, 18-09-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

3. अवकाश अवधि में श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2016

क्रमांक 1901/783/अव./2015/1-8/स्था.—श्री प्रदीप कुमार भटनागर, संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 26-09-2016 से 30-09-2016 तक 05 दिवस का (दिनांक 25-09-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार भटनागर आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री प्रदीप कुमार भटनागर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप कुमार भटनागर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 10-25/2015/1-8/स्था.—श्री अशफाक हुसैन सिद्दीकी, अवर सचिव, पशुधन विकास विभाग को दिनांक 08-09-2016 से 18-09-2016 तक 11 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अशफाक हुसैन सिद्दीकी आगामी आदेश तक अवर सचिव, पशुधन विकास एवं मछलीपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अशफाक हुसैन सिद्दीकी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशफाक हुसैन सिद्दीकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1967/722/अव./2012/1-8/स्था.—श्री एस.एल. नर्रे, अवर सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 12-09-2016 से 20-09-2016 तक 09 दिवस का (दिनांक 10, 11-09-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. नर्रे आगामी आदेश तक अवर सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. एल. नर्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. नर्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1969/313/अव./2012/1-8/स्था.—श्री एस. के. दुबे, उप संचालक (वित्त), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 15-11-2016 से 16-12-2016 तक 32 दिवस का (दिनांक 12, 13, 14-11-2016 एवं 17, 18-12-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस.के. दुबे आगामी आदेश तक उप संचालक (वित्त), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. के. दुबे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1971/266/अव./2010/1-8/स्था.—श्री एस. के. तिवारी, अवर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 19-09-2016 से 28-09-2016 तक 10 दिवस का (दिनांक 17, 18-09-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तिवारी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. के. तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1973/951/अव./2013/1-8/स्था.—श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, वरिष्ठ ग्रंथपाल, सामान्य प्रशासन विभाग (ग्रंथालय) को दिनांक 14-09-2016 से 22-09-2016 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा आगामी आदेश तक वरिष्ठ ग्रंथपाल, सामान्य प्रशासन विभाग (ग्रंथालय) के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1991/1547/अव./2015/1-8/स्था.—श्री आर. सी. लेवे, अवर सचिव, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

लघुकृत अवकाश	दिनांक 23-02-2016 से 28-02-2016 तक	06 दिवस
लघुकृत अवकाश	दिनांक 24-03-2016 से 30-03-2016 तक	07 दिवस
लघुकृत अवकाश	दिनांक 18-04-2016 से 24-04-2016 तक	07 दिवस
लघुकृत अवकाश	दिनांक 23-05-2016 से 03-07-2016 तक	42 दिवस
अर्जित अवकाश	दिनांक 12-09-2016 से 24-09-2016 तक	13 दिवस

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. लेवे आगामी आदेश तक अवर सचिव, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आर. सी. लेवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर.सी. लेवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्रमांक 2037/475/अव./2010/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 02-11-2016 से 11-11-2016 तक 10 दिवस का (दिनांक 30, 31-10-2016 एवं 01, 12,13, 14-11-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री के. सी. वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 10-26/2015/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 30-09-2016 से 14-10-2016 तक 15 दिवस का (दिनांक 15, 16-10-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. चोपड़े आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एल. डी. चोपड़े को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल. डी. चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-59/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत सहायक प्राध्यापक, (माईनिंग) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,000/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित सह प्राध्यापक का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संजॉय गोरेन	माईनिंग	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
2.	गुरूदेव चौधरी	माईनिंग	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडरटेकिंग कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-59/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत सहायक प्राध्यापक, (इलेक्ट्रिकल) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,000/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित सह प्राध्यापक का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रेवती रमन यादव	इलेक्ट्रिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
2.	संजय कुमार देवांगन	इलेक्ट्रिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
3.	शरद चंद्र राजपूत	इलेक्ट्रिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडरटेकिंग कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-59/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत सहायक प्राध्यापक, (मेकेनिकल) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,000/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित सह प्राध्यापक का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	छविकांत साहू	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
2.	राहुल साहू	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
3.	रूचिन कुमार	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
4.	गुलाब वर्मा	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
5.	सूरज चंद्र	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
6.	संदीप कुमार साहू	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
7.	पीयूष तिवारी	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
8.	भाव्यावेष साहू	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
9.	अविनाश रंजन पटनायक	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
10.	प्रवीण बंजारे	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगलदपुर
11.	प्रशांत साहू	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
12.	सतीश कुमार गवेल	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
13.	ओम प्रकाश	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
14.	दिलबाग मंडलोई	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
15.	श्याम सिंह कंवर	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
16.	नूतन दीवान	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
17.	प्रवीन कुमार कुजूर	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
18.	अजय सिंह पैकरा	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
19.	कांति कुमार ध्रुव	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
20.	उदय खाखा	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडरटेकिंग कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/ विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-59/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत सहायक प्राध्यापक, (सिविल) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,000/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित सह प्राध्यापक का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	स्मिता मिश्रा पाणिग्रही	सिविल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
2.	दुष्यंत साहू	सिविल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
3.	कमल शंकर पटेल	सिविल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	निराली वर्मा	सिविल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
5.	संदीप गोयल	सिविल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
6.	आदित्य सिंह	सिविल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
7.	प्रीति राजपूत	सिविल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
8.	मंगल सिंह मेरावी	सिविल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
9.	भास्कर चंद्राकर	सिविल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
10.	पुखराज साहू	सिविल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
11.	अंजू जांगड़े	सिविल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
12.	नमित कोसरिया	सिविल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडरटेकिंग कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-59/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत सहायक प्राध्यापक (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन), प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,000/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित सह प्राध्यापक का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अभिषेक कुमार वर्मा	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
2.	सोमेन्द्र कुमार सोनी	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
3.	रवि कुमार	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
4.	सौरभ यादव	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
5.	राम कृष्ण देवांगन	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
6.	चेतना सिन्हा	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
7.	उमाशंकर देवांगन	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
8.	आशीष पाटले	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
9.	दीपिका उरांव	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
10.	हितेश कुमार	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडरटेकिंग कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता (कम्प्यूटर साइंस), प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सरला देवांगन	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, नारायणपुर
2.	कमलेश कुमार साहू	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर
3.	धात्री वर्मा	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर
4.	कुमार प्रीतम	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर
5.	सत्येन्द्र सिंह भदौरिया	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम
6.	अनुराधा शर्मा	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुंद
7.	अभिषेक देवांगन	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा
8.	विनोद कुमार त्यागी	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
9.	अनिल सोनी	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
10.	सिकंदर कुमार	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी
11.	नेहा अग्रवाल	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बिलासपुर
12.	हरेन्द्र कुमार	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, बिलासपुर
13.	तृणा बनर्जी	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, बेरला
14.	राकेश कुमार गुप्ता	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर
15.	आनंद कुमार पांडेय	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, सूरजपुर
16.	अविनाश सिंह	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोंडागांव
17.	नेहा त्रिपाठी	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
18.	मनीषा चावला	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, बिलासपुर
19.	रोशनी ताम्रकार	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
20.	उमेश कुमार वर्मा	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुंद
21.	सूर्यकांत कौशिक	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
22.	अरूण कुमार नागदेवे	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम
23.	नुरेश कुमार देवांगन	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी
24.	आशुतोष चंद्र भेंसले	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर
25.	मनोज चन्द्राकर	कम्प्यूटर साईंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग

(1)	(2)	(3)	(4)
26.	विजय कुमार साहू	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
27.	मनीष डोंगरे	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर
28.	दिलीप कुमार कोसले	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर
29.	विपिन चन्द्र भगत	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम
30.	मनीषा	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुंद
31.	के. सुमित्रा	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
32.	आशा मिरी	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
33.	उमा पैंकरा	कम्प्यूटर साइंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडरटेकिंग कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलिटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता (मेकेनिकल), प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दीपक कुमार साहू	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, बीजापुर
2.	लवलेश कुमार	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर
3.	बृजेश कुमार साहू	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, रामानुजगंज
4.	रविन्द्र कुमार	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर
5.	नीरज कुमार वर्मा	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया
6.	राजेश कुमार राठौर	मेकेनिकल	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
7.	मनीष सोनकर	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, बेरला
8.	आलोक मणि त्रिपाठी	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा
9.	दुष्यंत कुमार देवांगन	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद
10.	रितेश कुमार दुबे	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुंद
11.	भूपेन्द्र राठौर	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, बलौदाबाजार
12.	दीपक गुप्ता	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा
13.	देव सिंह साहू	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर
14.	भूषण कुमार नायक	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया
15.	दिव्यांशु देवांगन	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी
16.	सौरभ वर्मा	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
17.	गजेन्द्र देवांगन	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
18.	कुलभूषण साव	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोण्डागांव
19.	राकेश सिंह	मेकेनिकल	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, रायपुर
20.	अतुल सिंह राजपूत	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, बेरला
21.	हेमसागर गुप्ता	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, बीजापुर
22.	प्रतीक कुमार गुप्ता	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर
23.	शीतेश कुमार श्रीवास	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, रामानुजगंज
24.	आशुतोष कुमार राठौर	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर
25.	राहुल देव राठौर	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा
26.	प्रदीप कुमार सिंह	मेकेनिकल	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
27.	पंकज कुमार सिन्हा	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर
28.	सात्विक कुमार	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
29.	चन्द्रेश कुमार देवांगन	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद
30.	हेमंत कुमार महोबिया	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुंद
31.	गणेश राम	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, बलौदाबाजार
32.	नितिन कुमार	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा
33.	कुंदन साहू	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर
34.	उपासना	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
35.	विजेता शुक्ला	मेकेनिकल	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
36.	कमलेश हठीले	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोंडागांव
37.	बुद्धदेव	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर
38.	प्रकाश विभोर बघेल	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, बीजापुर
39.	संतोष कुमार	मेकेनिकल	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, रायपुर
40.	सुशील कुमार	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, रामानुजगंज
41.	प्रीमेन्द्र कुमार	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर
42.	राजेश कुमार ठाकुर	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया
43.	सुनील कुमार अनंत	मेकेनिकल	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
44.	अमित कुमार बघेल	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर
45.	प्रियंका डागा	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा
46.	राजेश पैकरा	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद
47.	विनोद सांगोडे	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुंद
48.	शैलेश सिदार	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा
49.	सौम्या गोलछा	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर
50.	गोपाल सिंह	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
51.	कृति रस्तोगी	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
52.	डॉली भास्कर	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी
53.	टिकेश्वरी साहू	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
54.	परिधि	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोंडागांव
55.	नेहा तिवारी	मेकेनिकल	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, रायपुर
56.	दीक्षित आर्या	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, बेरला
57.	गायत्री राठौर	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, रामानुजगंज
58.	अमर खलखो	मेकेनिकल	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
59.	भूपेन्द्र सिंह ठाकुर	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर
60.	रूपेश कुमार नेताम	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा
61.	उत्तम कुमार नायक	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा
62.	सुरेन्द्र कुमार	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर
63.	पंकज कुमार पैंकरा	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
64.	मनीषा डहरिया	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
65.	चन्द्रशेखर मंडावी	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी
66.	सुषमा साहू	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
67.	प्रणिता सोरेंग	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडरटेकिंग कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलिटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता (मेटलर्जी), प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बालमुकुंद मेश्राम	मेटलर्जी	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
2.	सुरेन्द्र कुमार उर्वशा	मेटलर्जी	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
3.	चंदन कुमार	मेटलर्जी	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
4.	विवेक वर्मा	मेटलर्जी	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
5.	अभिनंदन कुमार	मेटलर्जी	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
6.	विजय हजारे	मेटलर्जी	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
7.	जनक कुमार	मेटलर्जी	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
8.	ज्योत्सना साहू	मेटलर्जी	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
9.	रमा पटेल	मेटलर्जी	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
10.	महेश कुमार देवांगन	मेटलर्जी	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	गरिमा कामड़े	मेटलर्जी	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
12.	राहुल सिप्पी	मेटलर्जी	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
13.	संतोष कुमार सत्यवंशी	मेटलर्जी	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
14.	ईश्वर सिंह	मेटलर्जी	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
15.	पुष्पेन्द्र कुमार अलसारे	मेटलर्जी	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक,जगदलपुर
16.	मनोज कुमार	मेटलर्जी	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
17.	बलवंत सिंह कोर्राम	मेटलर्जी	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तो के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलिटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडरटेकिंग कार्यभाग ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलिटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता (इलेक्ट्रिकल), प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राहुल कुमार श्रीवास्तव	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, सुकमा
2.	सुमित रंजन	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, बीजापुर
3.	सूर्यकांत साहू	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया
4.	पूजा वाणी	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर
5.	भोलेनाथ तंबोली	इलेक्ट्रिकल	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
6.	सोमेश कुमार डडसेना	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा
7.	प्रकाश नारायण वर्मा	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
8.	गजेन्द्र कुमार साहू	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुंद
9.	गोविन्द वर्मा	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम
10.	मनीष कुमार साहू	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर-चांपा
11.	हिमांशु देवांगन	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, बलौदाबाजार
12.	अजय कुमार स्वर्णकार	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा
13.	अमित अग्रवाल	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
14.	केशव प्रसाद पटेल	इलेक्ट्रिकल	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
15.	जितेन्द्र कुमार साहू	इलेक्ट्रिकल	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, बिलासपुर
16.	सुषमा सिंह	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
17.	अवधेश कुमार सिंह	इलेक्ट्रिकल	शासकीय सह शिक्षा पॉलीटेक्निक, रायपुर
18.	अमन कुमार देवांगन	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, सूरजपुर
19.	संदीप कुमार	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोंडागांव
20.	राम कुमार साहू	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, बेरला
21.	सूरज सिंह	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, सुकमा
22.	पूर्णचंद्र साव	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, बीजापुर
23.	मोनेश कुमार गजेन्द्र	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया
24.	रोमेश कुमार ज्योति	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर
25.	हर्षल मोहिते	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी
26.	वेदप्रकाश शर्मा	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा
27.	भूषण लाल साहू	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
28.	भगत सिंह यादव	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुंद
29.	अभिषेक कुमार सिंह	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम
30.	राजेश कुमार	इलेक्ट्रिकल	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
31.	राहुल कुमार यादव	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, बलौदाबाजार
32.	भूपेन्द्र कुमार देवांगन	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा
33.	वैभव वर्मा	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
34.	जय प्रकाश डनसेना	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी
35.	नीरज कुमार	इलेक्ट्रिकल	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, बिलासपुर
36.	हरीश कुमार	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
37.	प्रतीक साहू	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोण्डागांव
38.	विवेक कुमार मेहता	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, सूरजपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
39.	दीपक पटेल	इलेक्ट्रिकल	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, रायपुर
40.	हरीशंकर स्वर्णकारी	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, बेरला
41.	भूपेश कुमार पैकरा	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, बीजापुर
42.	हेमंत कुमार	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया
43.	दिलेश्वर	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर
44.	धर्मलता	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर-चांपा
45.	वसुधा डिकसेना	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा
46.	नेहा डनसेना	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
47.	दिप्ती रणदीव	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुंद

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलिटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अतः जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडरटेकिंग कार्यभाग ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, उप-सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2016

छत्तीसगढ़ राज्य की सड़क सुरक्षा नीति

क्रमांक/5109/परिवि/टीसी/2016.—छत्तीसगढ़ राज्य की सड़क सुरक्षा नीति निम्नानुसार है :—

अ. प्रस्तावना —

- छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वाहन संख्या 35 लाख पहुँच गई है, जिसमें से लगभग 28 लाख दुपहिया वाहन है. वाहनों की संख्या में औसत वृद्धि लगभग 04 प्रतिशत वार्षिक है. वर्ष 2014 में लगभग 4,022 लोगों ने सड़क दुर्घटना के कारण अपनी जान गंवाई है एवं वर्ष के दौरान 13,821 सड़क दुर्घटनाएँ दर्ज की गई हैं.

- छत्तीसगढ़ शासन राज्य में विगत वर्षों में हो रही सड़क दुर्घटनाओं, मृतकों तथा घायलों की बढ़ती संख्या को लेकर चिन्तित है. राज्य शासन का यह मानना है, कि सड़क दुर्घटनाएँ एक बड़ा जन—स्वास्थ्यगत विषय है.

- राज्य शासन का मानना है, कि सड़क दुर्घटनाओं में सड़कें, मोटर वाहनें तथा मानव जीवन अवयव सम्मिलित है, अतः सड़क सुरक्षा हेतु एक समग्र नीति की आवश्यकता है. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले जन—हानि एवं घायलों की संख्या कम करने हेतु शासन की जिम्मेदारी मानी गई है.

- इस सड़क सुरक्षा नीति के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या को अधिकाधिक रूप से कम करने हेतु प्रतिबद्ध है.

ब. नीतिगत बिन्दु—सड़क सुरक्षा में प्रभावी सुधार लाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिबद्ध है :—

1. **सड़क सुरक्षा हेतु जागरूकता बढ़ाना**—राज्य द्वारा सड़क सुरक्षा के विभिन्न आयामों, सड़क दुर्घटनाओं के सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभावों तथा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कार्यवाही के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु समुचित प्रयास किया जाएगा. इस प्रकार विभिन्न हितधारकों को सक्षम एवं समर्थ बनाया जाएगा, ताकि वे सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में अर्थपूर्ण भूमिका निभा सकें.

2. **सड़क सुरक्षा सूचना संबंधी डेटाबेस की स्थापना** —राज्य शासन द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस, प्रर्वतन एजेन्सीज़ एवं स्थानीय निकाय को अनुसंधान एवं डाटा संग्रहण हेतु तथा सूचना के प्रसारण एवं विशलेषण हेतु समुचित सहयोग प्रदान किया जावेगा.

3. **सुरक्षित सड़क संरचना सुनिश्चित करना**—राज्य की शहरी एवं ग्रामीण सड़कों को स्थानीय यातायात परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुरक्षित डिज़ाईन किये जाने एवं निर्माण किये जाने के प्रयास किये जायेंगे. साथ ही ''इन्टेलिजेन्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आई.टी.एस.)'' लागू किया जावेगा. राज्य शासन द्वारा ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने एवं उनके सुधार हेतु एक सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल भी बनाया गया है. राज्य मार्गों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित मदिरा विक्रय केन्द्रों को सड़क से दूर विस्थापित किया गया है.

4. **सुरक्षित वाहन**—सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु राज्य शासन द्वारा मोटोराईज़्ड एवं नॉन— मोटोराईज़्ड वाहनों के डिजाईन, निर्माण, उपयोग, प्रचालन तथा रख—रखाव हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के परिपालन को सुनिश्चित किया जावेगा, जिससे कि वाहन चालन के दौरान सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों तथा पर्यावरण एवं अधोसंरचना की सुरक्षा जिनमें पैदल चलने वाले तथा दुपहिया सवार सम्मिलित है

विपरीत रूप से प्रभावित न हों. साथ ही इन्फ्राइस्ट्रक्चर भी अप्रभावित हो. इस हेतु वाहनों के निरीक्षण तथा सर्टिफिकेशन हेतु उच्च स्तरीय संस्थान स्थापित किये जायेंगे.

5. **दक्ष वाहन चालक**—राज्य शासन सभी प्रकार के वाहनों के चालकों हेतु प्रशिक्षण एवं लायसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को उन्नत करेगी, जिससे की वाहन चालक उन्नत क्षमता के साथ वाहन चला सकें. इस हेतु रायपुर में ड्रायविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च संस्थान् (आई.डी.टी.आर.) की स्थापना की जावेगी.

6. **सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा**—समस्त ग्रामीण एवं शहरी सड़कें एवं उनकी सुविधाओं का डिजाईन एवं निर्माण इस प्रकार से किया जावेगा कि नॉन—मोटोराईज़्ड ट्रांसपोर्ट से चलने वाले, आसानी से सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले व्यक्तियों तथा दिव्यांगों की सुरक्षा समुचित तरीके से हो सके. इस हेतु राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट टाऊन प्लानर, आर्किटैक्ट एवं हाई—वे तथा यातायात अभियंताओं की सेवाएँ प्राप्त की जाएगी.

7. **सड़क सुरक्षा हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण** —राज्य की जनता के मध्य सड़क सुरक्षा हेतु जानकारी एवं जागरूकता हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रचार द्वारा प्रयास किये जायेंगे. सड़क सुरक्षा शिक्षण स्कूली बच्चों एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों पर भी केन्द्रित होगी, जबकी सड़क सुरक्षा प्रचार अभियान समुदाय में अच्छे सड़क सुरक्षा नियमों के पालन हेतु प्रेरित करेगा. राज्य शासन सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर समुचित जानकारी देने हेतु सभी व्यवसायिक भागीदारों, जो कि सड़क के डिजाईन, निर्माण, सड़कों के नेटवर्क मैनेजमेंट, यातायात मैनेजमेंट तथा कानून के प्रवर्तन से संबंधित हों, को प्रोत्साहित करेगी.

8. **सुरक्षा नियमों का प्रवर्तन** —राज्य शासन राज्य भर में समान रूप से प्रभावी सुरक्षा नियमों की मजबूती एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है. राज्य शासन द्वारा स्टेट हाईवे एवं नेशनल हाईवे में हाईवे पेट्रोलिंग की तैनाती एवं उसकी मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जावेगा. यातायात एवं सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने पर लायसेंस तथा परमिट निलंबन के साथ ही अन्य कड़े निर्णय भी लिये जाएंगे.

9. **सड़क दुर्घटनाओं हेतु आपातकालीन चिकित्सी सेवा** — राज्य शासन सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों हेतु प्रभावी एवं गतिशील चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करने एवं उनके संचालन हेतु प्रतिबद्ध है. उपरोक्त सेवाओं में आपातकालीन राहत, घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार एवं पीड़ित को तत्काल निकटतम अस्पताल ले जाना सम्मिलित है. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्गों के किनारे स्थित समस्त अस्पताल आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं हेतु पूर्ण रूप से सुसज्जित किये जाएंगे.

10. **मानव संसाधन विकास एवं सड़क सुरक्षा हेतु अनुसंधान** —राज्य शासन सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में शोध/अनुसंधान को प्रोत्साहन देगी, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रों का चिनहांकित किया जाना, ऐसे शोध को वित्त मुहय्या कराना जो कि सड़क सुरक्षा हेतु उत्कृष्ट कार्य कर रहे है. साथ ही शोध हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना तथा अकादमिक संस्थानों की स्थापना सम्मिलित है. उपरोक्त शोध के द्वारा प्राप्त जानकारियों को तथा गुड प्रैक्टिसेस के उदाहरण को राज्य शासन प्रचार माध्यमों, प्रशिक्षण, कॉन्फरेन्सेस, कार्यशालाओं एवं वेब साईट्स के माध्यम से प्रसारित करेगी.

11. **सड़क सुरक्षा हेतु वैधानिक, संस्थानिक एवं वित्तीय परिस्थितियों को मजबूत किया जाना** — राज्य शासन सड़क सुरक्षा हेतु वैधानिक, संस्थागत एवं वित्तीय परिस्थितियों को सुदृ करने के लिए समुचित प्रयास करेगा तथा किस हेतु सड़क सुरक्षा के सभी भागीदार सस्थाओं/व्यक्तियों के मध्य समुचित समन्वय को सुनिश्चित करेगा. सड़क सुरक्षा के विस्तार हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग लिया जावेगा उसी प्रकार निजी क्षेत्र, एनजीओ एवं अन्य अकादमिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी.

स. क्रियान्वयन हेतु नीति —

- राज्य शासन द्वारा परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) की अध्यक्षता में एक लीड एजेन्सी की स्थापना की गई है जो सड़क सुरक्षा संबंधी मुद्दों के प्रभावी नीति एवं क्रियान्वयन पर नजर रखेगी. जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष के अधीन प्रत्येक

जिले में एक सड़क सुरक्षा समिति बनाई गई है. राज्य शासन द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों को वित्त उपलब्ध कराने हेतु सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया है.

- सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा वर्ष में दो बार मिटिंग आहूत की जाएगी जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी बिन्दुओं का विचारण तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी.

State Road Safety Policy

No. 5109/Trans Dept/2016.—The Chhattisgarh State Road Safety Policy is as under :—

I. **Preamble—**

- The vehicle population of the State has reached 35 lakhs, out of which approximately 28 lakhs are Two Wheelers. The average growth is approx. 4 % year on year. In the calendar year 2014, 4022 people lost their lives in road accidents and the number of accidents during the year were 13821.

- The Government of Chhattisgarh is deeply concerned about the growth in the number of road accidents, injuries and fatalities in recent years. It recognizes that road accidents have now become a major public health issue.

- The Government of Chhattisgarh further recognizes that as road accidents involve roads, motor vehicles as also human beings, road safety needs to be addressed on a holistic basis. Chhattisgarh Government feels the responsibility in reducing the incidence of road accidents, injuries and fatalities.

- In the light of this, the Government of Chhattisgarh, through its Road Safety Policy, states its commitment to bring about a significant reduction in mortality and morbidity resulting from road accidents.

II. **Policy Statements—** In order to achieve a significant improvement in road safety, the Government of Chhattisgarh is committed to:

(i) **Raise Awareness about Road Safety Issues—** The State would increase its efforts to promote awareness about the various aspects of road safety, the social and economic implications of road accidents and what needs to be done to curb the rising menace of road accidents. This would enable and empower different stakeholders to play a meaningful role in promoting road safety.

(ii) **Establish a Road Safety Information Database—** The State will provide assistance to district authorities, police, enforcing agencies and local bodies to improve the quality of crash investigation and of data collection, transmission and analysis.

(iii) **Ensure Safer Road Infrastructure—** The state will take measures to review standards pertaining to safety in the design of rural and urban roads and bring them in consonance with international best practices keeping in view Indian traffic conditions, local traffic conditions and application of Intelligent Transport Systems (ITS). State has also drawn a protocol for identification and rectification of black spots on roads. Liquor shops along the National Highways & State Highways have been removed and shifted away from the roads.

(iv) **Safer Vehicles —** The State will take steps to ensure that safety features are built in at the stage of design, manufacture, usage, operation and maintenance of both motorized and non-motorized vehicles in line with national/international standards and practices in order to minimize adverse safety and environmental effects of vehicle operation on road users (including pedestrians and bicyclists) and infrastructure. Inspection and Certification centers of high standards will be established in the state.

(v) **Safer Drivers —** The State will strengthen the system of driver licensing and training to improve the competence and capability of drivers. An IDTR will be established in Raipur.

(vi) **Safety of Vulnerable Road Users—** The design and construction of all road facilities (rural and urban) will take into account the needs of non-motorized transport and the vulnerable and physically challenged in an appropriate manner. The State will seek to disseminate best practices in this regard to town planners, architects, and highway and traffic engineers.

(vii) **Road Traffic Safety Education and Training—**Road safety knowledge and awareness will be created amongst the population through education, training and publicity campaigns. Road safety education will also focus on school children and college going students, while road safety publicity campaigns will be used to propagate good road safety practices among the community. The State will encourage all professionals associated with road design, road construction, road network management, traffic management and law enforcement to attain adequate knowledge of road safety issues.

(viii) **Enforcement of Safety Laws—** The State will take appropriate measures to strengthen and improve the quality of enforcement in order to ensure effective and uniform implementation of safety laws. The State will actively encourage the establishment and strengthening of highway patrolling on national and State Highways. Strict action including penal action and Suspension of license and permits will be taken for violation of law.

(ix) **Emergency Medical Services for Road Accidents—**The State will strive to ensure that all persons involved in road accidents benefit from speedy and effective trauma care and management. The essential functions of such a service would include the provision of rescue operation and administration of first aid at the site of an accident and the transport of the victim from accident site to nearby hospital. Hospitals alongside National Highways and State Highways would be adequately equipped to provide for trauma care and rehabilitation.

(x) **HRD & Research for Road Safety—**The State will encourage road safety research by identifying priority areas, funding research in those area adequately and establishing centers of excellence in research and academic institutions. The State will facilitate dissemination of the result of research and identified examples of good practices through publication, training, conferences, workshops and websites.

(xi) **Strengthening Enabling Legal, Institutional and Financial Environment for Road Safety—** The State will take appropriate measures to ensure that the legal, institutional and financial environment for road safety are further strengthened and a mechanism for effective coordination of various stakeholders is put in place. The reforms in these areas would provide for the active and extensive participation of the community at large, of the private sector, academia and NGOs.

III. Implementation Strategy—

- The State has established a Road Safety Council under the chairmanship of Transport Minister. A Lead Agency under the Addl. D.G. (Traffic) has been established to oversee issues related to road safety and evolve effective strategies for implementation of the Road safety Policy. At district level, a District Road Safety Committee under the collector has been created in each District. The State has also decided to establish a State Road Safety Fund to finance road safety activities through the allocation of funds.

- The Road Safety Council will meet twice a year to address various issues relating to road safety and to review implementation of various decisions.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. पॉल, संयुक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 7-14/2013/12.—राज्य शासन एतद्द्वारा चीफ कन्ट्रोलर ऑफ माइन्स, भारतीय खान ब्यूरों, नागपुर के परिपत्र क्रमांक 2/2010, दिनांक 06-04-2010 के पैरा-2 के बिन्दु क्रमांक-2, दिनांक 21-09-2011, भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 08-10-2014 एवं खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खजिनों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के प्रावधानों अनुसार Global Positioning System (डीजीपीएस) का उपयोग करते हुए खनिज कोयला को छोड़कर समस्त खनिजों के खनिज रियायतों के सीमा स्तम्भ का सर्वेक्षण करने के लिए नीचे तालिका के कॉलम नंबर-02 में दर्शित संस्थानों को अधिमान्यता प्रदान करता है :—

क्रमांक (1)	एजेंसी का नाम एवं पता (2)	अधिमान्यता का विवरण (3)
1.	M/s Computer Plus (Software Development Consultancy) Plot No. 4, Sector-1, Ravi Gandhi Ward, Devendra Nagar, Raipur (C.G.)	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनिज रियायतों से संबंधित डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु.
2.	M/s Surmine Consulting Private Limited, Vishal Nagar, Behind Chhattisgarh Hotel, Telibandha G.E. Road, Raipur (C.G.).	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनिज रियायतों से संबंधित डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु.

2. अधिमान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए निम्नानुसार शर्तें निर्धारित की गई है :—

1. Each corner of the lease area shall have a boundary pillar (corner pillar).
2. There shall be erected intermediate boundary pillars between the corner pillars in such a way that each pillar is visible from the adjacent pillar located on either side of it;
3. The distance between two adjacent pillars shall not be more than fifty meters;
4. The pillar shall be of square pytamid frustum shaped above the surface and cuboid shaped below the surface;
5. Each pillars shall be of reinforced cement concrete;
6. The corner pillar shall have a base of 0.3 m × 0.3m and height of 1.30m of which 0.70m shall be above ground level and 0.60m below the ground;
7. The intermediate pillars shall have a base of 0.25 m × 0.25m and height of 1.0 m of which 0.70m shall be above ground level and 0.30m below the ground;
8. All pillars shall be painted in yellow colour and the top ten centimeters in red colour by enamel paint and shall be grouted with cement concrete.
9. On all corner pillars, distance and being to the forward and backward pillars and latitude and longitude shall be marked;
10. Each pillar shall have serial number in a clockwise direction and the number shall be engraved on the pillars;
11. The number of pillars shall be the numbers of the individual pillar upon the total number of pillars in the lease;

12. The tip of all the corner boundary pillars shall be a square of 15 centimeter on which a permanent circle of 10 centimeter diameter shall be drawn by paint or engraved and the actual boundary point shall be intersection of two diameters drawn at 90 degrees.

13. The lease boundary survey shall be accurate within such limits of error as the Controller General, Indian Bureau of Mines may specify in this behalf;

14. The location and number of the pillars shall also be shown in the surface and other plans maintained by the lessee; and

15. In case of forest area within the lease, the size and construction and colour of the boundary pillars shall be as per the norms specified by the Forest Department in this behalf.

16. The Survey Agency shall be responsible for the accuracy of the data collected during Survey.

17. Coordinates of boundary pillars shall be established in the World Geodetic System 1984 (WGS-84) Datum.

18. डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण अधिमान्यता प्राप्त संस्थान एवं खनिज रियायतधारी के मध्य आपसी समन्वय से किया जायेगा. किसी भी प्रकार का आपसी विवाद होने पर राज्य शासन उत्तरदायी नहीं होगा.

19. डीजीपीएस सर्वे कार्य के गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की कार्य संबंधी शिकायत पाये जाने पर जांच उपरांत राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि उक्त अधिकृत एजेंसी की मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है.

20. डीजीपीएस सर्वे के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को करना होगा.

21. राज्य शासन द्वारा जारी यह अधिमान्यता 03 वर्ष के लिए होगी. समयावधि समाप्ति से 03 माह पूर्व अधिकृत एजेंसी नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकेगा.

3. यह अधिमान्यता अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए ही मान्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

क्रमांक 10084/2870/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.) के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री आदित्य ताम्रकार, अधिवक्ता को दिनांक 23-07-2014 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी. नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी-2655/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-12 एवं 8910/3016/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 20-11-2012 के अनुरूप देय होगा.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-2014-न्याय प्रशासन, 103-विशेष न्यायालय, 0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना, 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों के शुल्क के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्रमांक 10196/2873/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, सरायपाली, जिला महासमुंद के पद पर नियुक्त श्री रेशम लाल पटेल, अधिवक्ता, जिला-महासमुंद (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 19-02-2016 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया बैकुण्ठपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 5804/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	भरतपुर	काशी टोला	0.80	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	सिंघौर व्यपवर्तन योजना फीडर बियर L.B.C. नहर के लिये नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2016

क्रमांक 15288/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जोंगरा प.ह.नं. 09	0.319	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 05, खरसिया, जिला-रायगढ़.	कर्रापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2016

क्रमांक 15290/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सोनादूला प.ह.नं. 02	0.053	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 05, खरसिया, जिला-रायगढ़.	कटारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बालोद, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्रमांक/2/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-डुड़िया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	490	0.51
योग		0.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोगनाला जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुण्डरदेही के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्रमांक/3/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-भांठागांव आर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	631/1	0.20
	616/1	0.05
	633	0.20
	634	0.08
	615	0.03
	635	0.08
	636	0.06
	638/1	0.16
	639/2	0.14
	640/2	0.10
	642/1	0.06
	643	0.31
	644	0.04
	686	0.08
	687	0.09
	574	0.12
	572	0.26
	567, 570/2	0.13
	568	0.14
	573	0.08
	578	0.04
	637	0.03
योग	23	2.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भाठागांव उद्वहन सिंचाई योजना तहत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुण्डरदेही के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्रमांक/5/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बालोद
   (ख) तहसील-गुण्डरदेही
   (ग) नगर/ग्राम-खुटेरी
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	222	0.12
	188	0.03
	187/1	0.04
	187/2	0.03
	187/3	0.05
	184/1	0.08
	184/2	0.01
योग	07	0.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुटेरी स्टाप डेम निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुण्डरदेही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सिंह राणा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जशपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्रमांक/04/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जशपुर
   (ख) तहसील-मनोरा
   (ग) नगर/ग्राम-घाघरा
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	286	0.097
योग	1	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जशपुर-सन्ना मुख्य मार्ग में दबे भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्रमांक/01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-मनोरा
- (ग) नगर/ग्राम-सोनक्यारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.209 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	47/3	1.165
	47/6	1.044
योग	2	2.209

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनक्यारी पुलिस चौकी एवं बंदी गृह निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-मुडेसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.245 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	239/1	0.108
	237/1	0.016
	237/2	0.081
	238	0.040
योग	4	0.245

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम परियोजना श्याम दायी तट मुख्य नहर अन्तर्गत मुडेसा माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 06/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सोनपुरखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.271 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	6/15	0.040
	6/17	0.121
	16/6	0.110
योग	3	0.271

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा परियोजना के दायी तट मुख्य नहर अन्तर्गत फतेहपुर वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 07/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सुखरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.308 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1035/8	0.308
योग		0.308

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुनघुट्टा श्याम परियोजना के दायीं तट मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 12/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सोहगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.237 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	553/40	2.023
	1027/3	1.214
योग		3.237

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुनघुट्टा श्याम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 13/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-लवईडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.461 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	550/65	0.461
योग		0.461

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुनघुट्टा श्याम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2016

क्रमांक 01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-सालर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.028 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
46	0.041
321/1	0.154
572/4	0.122
112	0.008
576	0.008
212/1, 212/2	0.082
117	0.194
410/1	0.049
208, 209, 210	0.065
172	0.462
274/2	0.016
236	0.020
222	0.138
409	0.073
271/2	0.056
276/1	0.085
277/4	0.162
278/1	0.178
330	0.069
555/1	0.028
556/2	0.045
574	0.113
270	0.024
116	0.308
406	0.178
572/5	0.097
114	0.020
579	0.004
213	0.069
279	0.202
119	0.065
554/2	0.020
175	0.202
583/2	0.045
239/2	0.036
408	0.109
269/2	0.162
273	0.158
276/2	0.061
598/2	0.194
322/1	0.210
331/1	0.097
555/3	0.032
557	0.061
586	0.028

(1)	(2)
239/4	0.036
185/3	0.162
572/1	0.028
585/1	0.243
211	0.028
321/2	0.032
239/3	0.032
575	0.138
120/1	0.024
555/4	0.041
176/1	0.154
232	0.057
266	0.016
238	0.057
269/3	0.162
277/2	0.146
598/1	0.097
121	0.073
554/2	0.028
407	0.307
555/2	0.032
572/3	0.178
595	0.008
221	0.222
267/1	0.234
572/2	0.178
48/2, 115/2	0.020
573	0.036
584	0.144
278/3	0.113
118/1	0.162
322/2	0.348
120/2, 122, 123	0.024
267/2	0.024
234	0.077
237	0.041
261	0.008
271/1	0.041
556/3	0.113
278/2	0.040
277/3	0.089
324	0.154
554/1	0.081
554/3	0.024
572/3	0.097
585/2	0.129
योग 91	9.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लातनाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2016

क्रमांक 02/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-घोराघाटी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.371 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
72/1ख	0.061
115/4	0.097
116/2	0.115
76	0.031
89/1	0.242
115/5	0.097
77/1	0.219
72/2ख	0.032
57	0.081
114/3, 113/2	0.120
115/3, 114/4/1	0.115

	(1)	(2)
	63/2ख, 65/1ख	0.040
	114/4, 115/3/2	0.024
	116/1	0.097
योग	14	1.371

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लातनाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

क्रमांक/115/1/भू.अ./अ.भू.अ./2016.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अन्बलगन पी. कलेक्टर बिलासपुर एतद्द्वारा तहसील बिलासपुर अन्तर्गत प्रचलित पटवारी हल्कों का पुर्नक्रमांकन निम्न सूची के अनुसार संशोधित करता हूं :—

रा.नि.मं. का नाम	रा.नि.मं. के अन्तर्गत पटवारी हल्का	पटवारी हल्के का क्रमांक जिसमें संशोधन होना है	क्रमांक में संशोधन के अन्तर्गत पटवारी हल्का	
			वर्तमान क्रमांक	संशोधित हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बेलतरा	पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 18	यथावत	यथावत	यथावत
बिलासपुर	पटवारी हल्का क्रमांक 19 से 41	32अ से 41 तक	32अ चांटीडीह	33 चांटीडीह
			33 कुदुदण्ड	34 कुदुदण्ड
			33अ मंगला	35 मंगला
			34 जूना बिलासपुर	36 जूना बिलासपुर
			34अ तोरवा	37 तोरवा
			35 जरहाभाठा	38 जरहाभाठा
			35अ तालापारा	39 तालापारा
			36 तिफरा	40 तिफरा
			37 सिरगिट्टी	41 सिरगिट्टी
			38 बन्नाकडीह	42 बन्नाकडीह
			39 देवरीखुर्द	43 देवरीखुर्द
			40 ढेका	44 ढेका
			41 मानिकपुर	45 मानिकपुर

उपरोक्तानुसार इस अधिसूचना से तहसील बिलासपुर स्थित पटवारी हल्का क्रमांक 32 अ से 41 तक संशोधित पटवारी हल्का क्रमांकन 33 से 45 प्रचलन में आ जावेगा. इन पटवारी हल्कों की चौहद्दी एवं अन्य अभिलेख की स्थित पूर्व अनुसार मूलत: यथावत रहेगा.

नगर निगम क्षेत्र बिलासपुर के अन्तर्गत पटवारी हल्का क्रमांक 32 से 39 कुल आठ ग्राम संशोधित पटवारी हल्का क्रमांक के अनुसार अस्तित्व में रहेगा.

अन्बलगन पी.,
कलेक्टर.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/4170.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7574-75, दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री एस. पी. बीरा, उप संचालक कृषि, को कृषि उपज मंडी समिति अंबिकापुर जिला सरगुजा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर अंबिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/7445/मण्डी./2016-17 दिनांक 15-09-2016 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति अंबिकापुर में भारसाधक अधिकारी के पद पर श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर, अंबिकापुर को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एस. पी. बीरा, उप संचालक कृषि, अंबिकापुर के स्थान पर श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर, अंबिकापुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति अंबिकापुर जिला सरगुजा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र कुमार शुक्ल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय रिटर्निंग आफिसर भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् चुनाव-2016
पुराना नर्सेस हॉस्टल, डीकेएस भवन परिसर, रायपुर छ.ग.
(कक्ष क्रमांक 22, प्रथम तल)

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2016

क्रमांक 03/रिआ/सीसीआईएम चुनाव/2016.—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 के नियम 7 एवं 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आवंटित आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति के एक-एक प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु निम्नानुसार निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है :—

क्र.	कार्यक्रम	तिथि	समय
1.	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना	04-11-2016, शुक्रवार	प्रात: 10.30 बजे से दोप. 03.00 बजे तक
2.	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	10-11-2016, गुरुवार	दोप. 03.00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा	11-11-2016, शुक्रवार	प्रात: 10.30 बजे से
4.	अभ्यर्थी से नाम वापिस लेने की अंतिम तिथि	18-11-2016, शुक्रवार	दोप. 03.00 बजे तक
5.	निर्वाचकों को मतपत्र डॉक द्वारा प्रेषण	25-11-2016, शुक्रवार	सांय 05.00 बजे तक
6.	मतदान की अंतिम तिथि	20-12-2016, मंगलवार	सांय 05.00 बजे तक
7.	मतदान के बाह्य लिफाफों को खोलना एवं संवीक्षा	21-12-2016, बुधवार	प्रात: 10.30 बजे से
8.	मतपत्रों की संवीक्षा एवं गणना	22-12-2016, गुरुवार	प्रात: 10.30 बजे से

उपरोक्त सभी कार्यक्रम कक्ष क्रमांक-22, प्रथम तल, पुराना नर्सेस हॉस्टल, डीकेएस भवन परिसर, रायपुर, 492001 में संपादित किए जावेंगे.

टोपेश्वर वर्मा,
संयुक्त सचिव.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्रमांक 12621/न.ग्रा.नि./2016.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में छुरा निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक/8755/नग्रानि/2016 रायपुर दिनांक 10 जून 2016 छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 24 जून 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट छुरा निवेश क्षेत्र के ग्रामों की भूमि का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है. एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

छुरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कोसमबुड़ा, हरदी एवं डागनबाय ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम डागनबाय एवं पंडरीपानीडीह ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम पंडरीपानीडीह, गादीकोठ, रावनभाठा एवं सारागांव ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम सारागांव एवं कोसमबुड़ा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय, नगर पंचायत, छुरा, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

No. 12621/T&CP/2016.—The existing land use map and register of Chhura Planning Area was published in pursuance of sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 8755/T&CP/2016, Raipur dated 10 June 2016, in "Chhattisgarh Gazette" dated 24 June 2016.

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use map and register of village of Chhura Planning Area so prepared under published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning in pursuance of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatah Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the notice is also sent for its publication in "Chhattisgarh Gazette" under sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Chhura Planning Area Limits

NORTH : Village Kosambuda, Hardi and upto the Northern limit of Danganbai village.
WEST : Village Danganbai and upto the Western limit of Padaripanidih village.
SOUTH : Village Pandripanidih, Gadikoth, Rawanbhata and upto the Southern limit of Saragaon village.
EAST : Village Saragaon and upto the Eastern limit of Kosambuda village

The said adopted maps and register shall be available for inspection of general public at following place during office hours, except holidays for the period of 15 days from the publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Place of Inspection : Office of the Nagar Panchayat, Chhura, Gariaband (C.G.)

विनीत नायर,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 26 अगस्त 2016

क्रमांक/799/ELU/डौण्डीलोहारा/नग्रानि/2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि डौण्डीलोहारा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति नगर पंचायत डौण्डीलोहारा/प्रदर्शनी स्थल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद के कार्यालयों में दिनांक 26-08-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. डौण्डीलोहारा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है.

अनुसूची

डौण्डीलोहारा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कोटेरा, धनगांव, अंडी, सम्बलपुर, बडगांव की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम बडगांव, खडेनाडीह, जोगीभाट की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम जोगीभाट, बटेरा, डौण्डीलोहारा, कसही की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम कसही, धनगांव, कोटेरा की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बालोद (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बालोद द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत, डौण्डीलोहारा.

No./799/ELU/Dondilohara/T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Dondilohara planning area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from date 26-08-2016 during office hour in the office of Nagar Panchayat Dondilohara/Exhibition Venue, office of Sub Divisional Officer (Revenu) Dondilohara & Office of the Assistant Director, Town & Country Planning Balod. The limit of the Dondilohara Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Dondilohara Planning Area

NORTH : Village Kotera, Dhangaon, Andi, Sambalpur village Bargaon up to North Boundary.
EAST : Village Bargaon, Khadenadih village Jogibhat up to East Boundary.
SOUTH : Village Jogibhat, Batera, Dondilohara village Kasahi up to South Boundary.
WEST : Village Kasahi, Dhangaon village Kotera up to West Boundary.

If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared it should be send in writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod C.G. or inspection site writing a period of Thirty days from the that date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before specified above will be considered by the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod C.G.

Inspection Site : Office of the Nagar Panchayat Dondilohara.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उत्तर बस्तर, कांकेर छ.ग.

कांकेर, दिनांक 22 सितम्बर 2016

क्रमांक/429/नग्रानि/2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नरहरपुर निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत कार्यालय (प्रदर्शनी स्थल) नरहरपुर, कार्यालय कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर एवं कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कांकेर में दिनांक 22-09-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. नरहरपुर निवेश क्षेत्र की सीमायें निम्नलिखित अनुसूची में दर्शित है.

अनुसूची

नरहरपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम मर्रामपानी, नरहपुर एवं सुरही ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम सुरही, नरहरपुर एवं कोचवाही ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम कोचवाही एवं बहनापानी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम कोचवाही, बहनापानी एवं मर्रामपानी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भू उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस प्रकार सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के समयावधि के भीतर लिखित रूप से सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कांकेर को प्रस्तुत किया जाना चाहिये.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 429/T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use map for Narharpur Planning Area has been prepared under section 15 of sub section (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 22-09-2016 during office hours in the office of Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat (Exibition Venue) Narharpur, Office of the Collector, North Bastar, Kanker and office of Assistant Director, Town & Country Planning, Kanker the limit of the Narharpur Planning Area is defind in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Narharpur Planning Area

NORTH	:	Village Marrampani, Narharpur and Surhi up to Northern limit of village.
EAST	:	Village Surhi, Narharpur and Kochwahi up to the Eastern limit of Village.
SOUTH	:	Village Kochwahi and Bahnapani up to southern limit of village.
WEST	:	Village Kochwahi, Bahnapani and Marrampani up to the Western limit of village.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, Kanker within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by Assistant Director.

पी. एल. दिल्लीवार,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्रमांक 1507/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-लखनपुर/2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि लखनपुर निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला सरगुजा, कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर तथा नगर पंचायत लखनपुर में दिनांक 21-09-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

लखनपुर निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

लखनपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम अंधला, लखनपुर, शिवपुर, भरतपुर, केंवरा, सिरकोतंगा एवं रजपुरी (कला) ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम रजपुरी (कला), भरतपुर, केंवरा एवं कोसंगा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम कोसंगा, जूना लखनपुर, जूनाडिह, वंधा एवं कुंवरपुर ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम कुंवरपुर एवं अंधला ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो, आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 1507/T&CP/Ambikapur/DP-Lakhanpur/2016.—Notice is hereby given that the existing land use map for Lakhanpur Planning Area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from date 21-09-2016 during office hours in the offices of the Collector District Surguja, Office of the Assistant Director Town and Country Planning Ambikapur and Nagar Panchayat Lakhanpur District Surguja.

SCHEDULE

Limits of Lakhanpur Planning Area

NORTH : Village Andhla, Lakhanpur, Shivpur, Bharatpur, Keora, Sirkotanga and up to the Northern limit of Rajpuri Kala.
EAST : Village Rajpuri Kala, Bharatpur, Keora and up to the Eastern limit of Kosanga.
SOUTH : Village Kosanga, Juna Lakhanpur, Junadih, Bandha and up to the Southern limit of Kuwarpur.
WEST : Village Kuwarpur and up to the western limit of Andhla.

If there by any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning, Chhattisgarh Raipur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Director Nagar Tatha Gram Nivesh Raipur Chhattisgarh.

सूर्यभान सिंह ठाकुर
सहायक संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्रमांक 5562/ई.एल.यू./न.ग्रा.नि./2016.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में सरगांव निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 3323 बिलासपुर दिनांक 04-06-2016 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सरगांव निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

उत्तर में : ग्राम धमनी, खम्हारडीह, मोहदा, भोजपुरी एवं डोकलाडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम डोकलाडीह, सल्फा एवं करही ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम करही, मोहभट्ठा एवं सांवा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम सांवा, लोहदा, खपरी एवं धमनी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

No. 5562/ELU/T&CP/2016.—The existing land use map and register of Sargaon Planning Area existing land use map and register was published under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 881 date 12-02-2015 of Bilaspur.

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use map and register of Sargaon Planning Area existing land use map and register so prepared and published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning under the provision of sub-section (3) of section 15 of the said adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazett, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on dt.

INDEX

NORTH : Village Dhamni, Khamhardih, Mohda, Bhojpuri and upto the North limit of Dokladih.
EAST : Village Dokladih, Salpha and up to the East limit of Karhi.
SOUTH : Village Karhi, Mohbhattha and up to the South limit of Saawa.
WEST : Village Sanwa, Lohda, Khapri and up to the West limit of Dhamni.

The said adopted map and register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Joint Director Town & Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur.

संदीप बांगड़े,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जशपुर (छ.ग.)

जशपुर, दिनांक 14 जुलाई 2016

क्रमांक 497/नग्रानि./बगीचा वियो./2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है. कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जशपुर (छ.ग.) द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट बगीचा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

बगीचा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम बगडोल, डूमरटोली, भट्ठीकोना, कुरूमकेला, गम्हरिया एवं ग्राम रतबा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम रतबा की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम रतबा, बगीचा, रेवरे, रूपसेरा एवं ग्राम बगडोल की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम रूपसेरा, बगडोल, डूमरटोली एवं ग्राम भट्ठीकोना की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जशपुर (छ.ग.)

No. 497/T&CP/D.P./Bagicha/2016.—Notice is hereby given for the general information of the public that existing land use map & register of Bagicha Planning Area so prepared under published are duly adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning, Jashpur the provision of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisagrh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps & register have been duly prepared and adopted on publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

Limits of Bagicha Planning Area

NORTH	:	Village Bagdol, Dumartoli, Bhatthikona, Kurumkela, Gamhariya and Ratba to Northern Boundary.
EAST	:	Village Ratba to Eastern Boundary.
SOUTH	:	Village Ratba, Bagicha, Revare, Rupsera and Bagdol to Southern Boundary.
WEST	:	Village Rupsera, Bagdol, Dumartoli and Bhatthikona to Western Boundary.

The said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for the period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection : office of the Assistant Director Town & Country Planning, Jashpur (C.G.)

ललिता धुर्वे,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2016

क्रमांक/1774/न.ग्रा.नि./शिवरीनारायण/वि.यो./2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है. कि आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट शिवरीनारायण निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

शिवरीनारायण निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम तुसमा, दुरपा तथा मुड़पार ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम दुरपा, मुड़पार तथा सिंघुल ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम सिंघुल मुड़पार, दरपा, तुसमा, मोगहापारा तथा महंतपारा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम महंतपारा, भोगहापारा तथा तुसमा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत, शिवरीनारायण जांजगीर (छ.ग.).

विमल कुमार बगवैया,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 28 सितम्बर 2016

शुद्धि पत्र

क्रमांक 1543/वर्तमान भू.उप./न.ग्रा.नि./2016.—कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश धमतरी द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1216 दिनांक 03-08-2016 में त्रुटिवश सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश धमतरी के स्थान पर आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उल्लेखित किया गया है. कृपया आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के स्थान पर सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश धमतरी पढ़ा जावे.

आर. के. मालवीया,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

"प्रारूप-ख"
[नियम 3 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 1877/भू.पा.ला./2016.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-साराडीह, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. से ग्राम-लारा, तह.-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक जल परिवहन हेतु मेसर्स एनटीपीसी लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध, में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	600/1 से 10 में से	0.012
			601	0.085
			602/1 से 7 में से	0.312
			603/1 से 11 में से	0.094
		योग		**0.503**

रीता यादव,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).